निवासी–वार्ड

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स दमास सिविल कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री दीनानाथ तिवारी, निवासी–वार्ड संख्या 18, पोस्ट–भभुआ, जिला–कैमूर द्वारा पटना सोन नदी स्थित ''सैंड ब्लॉक–05'' बालू घाट मौजा–मसौढ़ा, पोस्ट+ब्लॉक–पालीगंज, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 07.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2079/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 07.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 03.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री बिपिन प्रसाद ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (450 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत: हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री विनोद कुमार, ग्राम–उदयपुर, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि ट्रक–ट्रेक्टर चलने से धूल उड़ेगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। इसके लिए क्या उपाय किये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। PUC निबंधित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा।
2.	श्री नागेन्द्र कुमार, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि सड़क का मरम्मत कौन करेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू घाट से मुख्य सड़क तक का पहुँच–पथ का मरम्मत संवेदक पाँच साल तक करेंगे। एन. एच. एवं एस.एच. का देखभाल सरकार के द्वारा किया जाता है।
3.	श्री जितेन्द्र कुमार, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से रोजगार बढ़ेगा, गाँव का विकास होगा। इसलिए परियोजना चालू होने की सहमति है।
4.	श्री लवनेश कुमार, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं, उन्हें घर में काम मिलेगा। यह अच्छी बात है। इसलिए परियोजना चालू होने की सहमति है।
5.	श्री शिवनाथ सिंह, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना में कितने पेड़ लगाने का प्रावधान है।

		पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि 450 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है यह बढ़ाया भी जा सकता है। ग्रामीणों की मांग होने पर रैयत भूमि में पेड़ लगाने हेतु उन्हें निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

ग्रामीण लोग गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

9.6.23   9/6/23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर जिला दण्डाधिकारी
पटना

उपस्थिति सूची

मेसर्स दामास सिविल कंस्ट्रकशन इंडिया प्रा० लि०, प्रो०-श्री दीनानाथ तिवारी द्वारा सोन नदी स्थित ''सैंड ब्लॉक-05'' बालू घाट, मौजा मसौढ़ा, पोस्ट+अंचल-पालीगंज, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान--अचंल कार्यालय, पालीगंज, दिनांक 07.06.2023 समय-11:00 A.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अविनाश सिन्हा	अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	[signature] 7/6/23
2.	आशीष कुमार शुक्ला	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि०रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	आशी 7-6-23
3.	आनन्द कुमार	राजस्व अधिकारी, पालीगंज पटना	[signature] 07/06/23
4.	संतोष कुमार सिंह	अंचल अधिकारी पालीगंज	[signature] 07/6/23
5.	विपिन प्रसाद	OCEAO Enviro	[signature] 07/06/23
6.	अश्विनी कुमार	ग्राम+पो० - मसौढ़ा पालीगंज पटना	अश्विनी कुमार
7.	[illegible]	[illegible]	[signature]
8.	[illegible] कुमार	[illegible]	[signature]
9.	P.P.S	ग्राम - मसौढ़ा [illegible]	P.P.S
10.	[illegible]	ग्रा + पो मसौढ़ा	[signature]
11.	[illegible] कुमार	ग्राम पो० मसौढ़ा	[signature]
12.	प्रमोद कुमार	ग्राम+पो० मसौढ़ा	[signature]

28.

13.	Ravi Ranjan Kumar	Akhtiyarpur	Ravi Ranjan
14.	Ashok kumar	Masaurhi	[illegible]
15.	आंजनी कुमार	मसौढ़ा	आंजनी
16.	जितेन्द्र कुमार	मसौढ़ा	जितेन्द्र
17.	राजेश कुमार	मसौढ़ा	राजेश
18.	राकेश कुमार	मसौढ़ा	Rakesh kumar
19.	श्याम सुन्दर	मसौढ़ा	श्याम सुन्दर
20.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]
21.	नागेन्द्र कुमार	मसौढ़ा	नागेन्द्र कुमार
22.	मन्टू कुमार	[illegible]	मन्टू कुमार
23.	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
24.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]
25.	मनोज कुमार	मसौढ़ा	मनोज कुमार
26.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]
27.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]

28.	Vinod Kumar	Uday Kumar	Dinesh Kumar
29.	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
30.	Sitansa Suraj	Masausha	Sitansa
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	जितेन्द्र कुमार
36.	सुनील कुमार	मसौढ़ा	सुनील कुमार
37.	[illegible] कुमार	मसौढ़ी	[illegible]
38.	[illegible] कुमार	मसौढ़ी	[illegible] कुमार
39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	धीरज कुमार	[illegible] पुरा	धीरज कुमार
41.	विकास कुमार	मसौढ़ा	विकास कुमार
42.	संतोष कुमार	मसौढ़ा	संतोष कुमार